बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)

(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)

Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in

TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN-U40102 BR 202 SGC 018889

संकल्प सं0– 1468 पटना / दिनांक– 07/06/2024

T-I/ JEE-Court Case-15002/2017

श्री बद्री ठाकुर, तदेन कनीय विद्युत अभियंता एवं श्री मनोहर कुमार वर्मा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता दोनों के 220 के0 वी0 ट्रांसमिशन डिवीजन–1, बेगूसराय में पदस्थापन के दौरान अगस्त 1988 में ट्रांसफॉर्मर से 16000 लीटर तेल एवं Valve की चोरी का मामला प्रकाश में आया। उक्त मामले में श्री ठाकुर एवं श्री वर्मा के द्वारा FIR दर्ज करने एवं उच्च पदाधिकारियों को सूचित करने में अत्यधिक विलंब किया गया। वे वहां पदस्थापित होम गार्ड से मामले से जुड़े अभिलेख को जब्त करने में भी विफल रहे। उक्त आरोपों के लिए दोनों के विरूद्ध पूर्ववर्ती बोर्ड द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा श्री वर्मा को संकल्प सं0–602 दिनांक–12.05.1997 एवं श्री ठाकुर को संकल्प सं0–604 दिनांक–12.05.1997 द्वारा सेवा से "बर्खास्तगी" का दंड प्रदान किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री वर्मा एवं श्री ठाकुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में क्रमशः–CWJC No.-1924/1998 एवं CWJC No.-8390/1998 दायर किया गया। CWJC No.-1924/1998;मनोहर कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य; में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–15.07.2015 को पारित आदेश द्वारा श्री वर्मा के "बर्खास्तगी" के दंड को रद्द करते हुए श्री वर्मा को सेवा में वापस लेने एवं सभी परिणामी लाभ देने का आदेश पारित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री वर्मा द्वारा समर्पित आवेदन की सम्यक समीक्षा की गई एवं संकल्प संख्या–282 दिनांक–18.03.2016 द्वारा श्री वर्मा को प्रदत्त दंड को वापस लेते हुए सभी परिणामी लाभों का भुगतान करने का आदेश दिया गया। अन्ततः पुनर्बहाली के पश्चात् श्री वर्मा सहायक कार्यपालक अभियंता से प्रोन्नत होकर विद्युत अधीक्षण अभियंता के पद पर दिनांक–30.01.2019 को सेवानिवृत्त हुए। उन्हें सभी देय परिणामी एवं सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया गया।

श्री वर्मा द्वारा दायर CWJC No.-1924/1998 में दिनांक–15.07.2015 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया, जबकि श्री बद्री ठाकुर द्वारा दायर याचिका CWJC No.-8390/1998 में दिनांक–01.04.2010 को आदेश पारित किया गया था। वस्तुतः श्री ठाकुर के द्वारा अपने याचिका में गलत तथ्य का उल्लेख किया गया कि श्री वर्मा को "lesser punishment" दिया गया है, जबकि उस समय तक श्री वर्मा के द्वारा दायर याचिका माननीय न्यायालय के विचाराधीन ही था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–01.04.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा MJC No.-

361/2011 (Modification Application) माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा "Modification Application is not required" संबंधित आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध श्री ठाकुर द्वारा Civil Review No.–232/2010, LPA No.-1216/2016 एवं LPA NO.-2363/2016 दायर किया गया, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC, Review Petition एवं LPA में श्री ठाकुर को कोई राहत प्रदान नहीं की गई। माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध श्री ठाकुर द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष SLP(C) No-19804/2018 दायर किया गया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक–02.04.2024 है, जिसका Operating part इस प्रकार है–

"7. In view of the above, we allow the appeal filed by the appellant and set aside the order passed by the Division Bench of the High Court in Letters Patent Appeal No.-1216 of 2016 dated 05.01.2018. We make it clear that as the appellant did not file an appeal against the order of the Single Judge from the date of the dismissal of the Review by order dated 05.09.2012 till 2016, he will not be entitled to any kind of interest for that period. He will, however, be entitled to all other consequential benefits.

8. Pending applications, if any, shall stand disposed of."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के उक्त आदेश के आलोक में श्री बद्री ठाकुर के मामलें को संलेख के रूप में निदेशक मंडल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक–28.05.2024 को सम्पन्न 114वीं बैठक में संकल्प संख्या–114–08 द्वारा निम्न निर्णय लिया गयाः–

"संकल्प लिया जाता है कि श्री बद्री ठाकुर, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, सम्प्रति कनीय विद्युत अभियंता (बर्खास्त) को श्री मनोहर कुमार वर्मा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त विद्युत अधीक्षण अभियंता के समान राहत प्रदान करने तथा "बर्खास्तगी" आदेश को निरस्त करते हुए श्री मनोहर कुमार वर्मा, तदेन सहायक विद्युत अभियंता के समतुल्य सभी लाभों के भुगतान के प्रस्ताव पर निदेशक **मंडल द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।"**

तदनुसार, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल द्वारा पारित उक्त निर्णय के आलोक में श्री बद्री ठाकुर, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, संचरण अनुमंडल संख्या–1, बेगूसराय (सम्प्रति बर्खास्त) को पूर्ववर्ती बोर्ड के संकल्प संख्या–604 दिनांक–12.05.1997 के द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के प्रदत्त दंड के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर किए गए SLP(C) No-19804/2018 में दिनांक–02.04.2024 को पारित अंतिम आदेश के पूर्ण अनुपालन करते हेतु श्री बद्री ठाकुर, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, सम्प्रति कनीय विद्युत अभियंता (बर्खास्त) को श्री मनोहर कुमार वर्मा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त विद्युत अधीक्षण अभियंता के समान राहत प्रदान करने तथा बर्खास्तगी आदेश को दिनांक–12.05.1997

के प्रभाव से निरस्त करते हुए श्री मनोहर कुमार वर्मा, तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता के समतुल्य सभी लाभों के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>आदेश</u>– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री बद्री ठाकुर, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, संचरण अनुमंडल संख्या–1, बेगूसराय (सम्प्रति बर्खास्त), वर्तमान पता– पिता–स्व0 हरि ठाकुर, सैनिक कॉलोनी बुटी, थाना–सदर, जिला–राँची, राज्य–झारखंड, पिनकोड–835217 को हस्तगत करा दी जाय तथा अन्य सभी प्राधिकारों को तदनुरूप कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाय।**

आदेशानुसार

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक सं0–.. दिनांक–..

प्रतिलिपि– श्री बद्री ठाकुर, पिता–स्व0 हरि ठाकुर, स्थायी पता–सैनिक कॉलोनी बुटी, थाना–सदर, जिला–राँची, राज्य–झारखंड, पिनकोड–835217 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक सं0–.. दिनांक–..

प्रतिलिपि– अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी,/प्रधान आप्त सचिव/बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी/ प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लिमिटेड के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)

ज्ञापांक सं0–......1469...................... दिनांक–......07/06/2024............

प्रतिलिपि–सभी महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उपमहाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0)/CDBA/सभी उपमहाप्रबंधक (कार्मिक)/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/कंपनी सचिव BSP(H)CL/विधि परामर्शी/सभी उप सचिव/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक(मा0सं0)/सभी वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी उप विधि परामर्शी/सभी DBA/सभी सहायक विद्युत अभियंता/सभी सहायक कार्यपालक अभियंता/सभी प्रशासी पदाधिकारी/प्रशासी पदाधिकारी (ERP)/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना)/लेखा पदाधिकारी (पेंशन), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कंपनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. DBA, BSPTCL से अनुरोध है कि इसे कंपनी के Website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

07-6-24
(राजीव कुमार सिंह)
उपमहाप्रबंधक(मा0सं0/प्रशा0)

DBA